

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्यप्रदेश, प्रथम तल.  
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक/बजट कक्ष/ 438

भोपाल, दिनांक 4/2/2020

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,  
खंडवा सा. वनमंडल/सेधवा सा. वनमंडल/  
दक्षिण पन्ना सा. वनमंडल/ उत्तर बैतूल सा. वनमंडल  
मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-3054-04-337-9999-9136-वनोपज निकासी मार्ग का  
संधारण अंतर्गत उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजूदरी मद में बजट आवंटन वर्ष  
2019-20

- संदर्भ:- 1. वनमंडलाधिकारी सेधवा सा. वनमंडल का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/4190 दिनांक  
05.12.2019  
2. वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना सा. वनमंडल का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/1974  
दिनांक 23.12.2019  
3. मुख्य वन संरक्षक खंडवा वृत्त का पत्र क्रमांक/व्यय/2020/306 दिनांक  
09.01.2020  
4. मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त का पत्र क्रमांक/व्यय/2020/82 दिनांक 13.01.  
2020

- 0 -

संदर्भित विषयान्तर्गत आपकी मांग एवं बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये  
10-3054-04-337-9999-9136-वनोपज निकासी मार्ग का संधारण अंतर्गत  
उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजूदरी मद में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है :-  
(राशि रूपयों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बजट आवंटन
वनमंडलाधिकारी खंडवा सामान्य वनमंडल	2,50,000
वनमंडलाधिकारी सेधवा सामान्य वनमंडल	1,40,000
वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना सामान्य वनमंडल	2,00,000
वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सामान्य वनमंडल	1,50,000

अतिरिक्त बजट आवंटन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

- उक्त आवंटित राशि का व्यय वन वन वित्तीय नियमावली के अध्याय 10 के नियम  
304 में वर्णित अनुसार वन मार्गों का संधारण कार्य कराया जाये।
- कार्य आयोजना में दर्शित वनमार्ग का ही संधारण किया जाये।

3. वनमार्गों का एक पृथक रजिस्टर निम्न प्रपत्र अनुसार संधारित किया जाये -

प्रपत्र					
क्रं.	वनमार्ग का नाम	पहाड़ी (कि.मी. में)	मैदानी (कि.मी. में)	योग (कॉलम नं. 3 एवं 4 का योग कि.मी. में)	व्यय की गई राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6

4. उक्त आवंटित राशि का व्यय किसी अन्य मद में न किया जाये।  
5. शासन एवं मुख्यालय द्वारा इस संबंध में व्यय हेतु समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(शुभरंजन सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/2/2020

पृ.क्रमांक/बजट कक्ष/439  
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त बैतूल/छतरपुर एवं खंडवा मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

शुभरंजन सेन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

शुभरंजन सेन

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्यप्रदेश, प्रथम तल,  
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक/बजट कक्ष/ 436

भोपाल दिनांक 4/2/2020

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,  
बड़वाह सामान्य वनमंडल  
बड़वाह, मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-2216-05-053-9999-6218-भवनों की मरम्मत अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष  
2019-20

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/व्यय/2020/264 दिनांक 22.01.2020

- 0 -

संदर्भित विषयान्तर्गत आपकी मांग एवं बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये मांग संख्या  
10-2216-05-053-9999-6218-भवनों की मरम्मत उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष-12 मजदूरी मद अंतर्गत  
निम्नानुसार अतिरिक्त आवंटन किया जाता है :-

(राशि रूपयों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी	12-मजदूरी
वनमंडलाधिकारी बड़वाह सामान्य वनमंडल	7,00,000

उक्त बजट आवंटन निम्न शर्तों के अधीन बजट प्रदान किया जाता है :-

1. उक्त आवंटित राशि से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 203 दिनांक 27.04.2011 द्वारा निर्धारित नार्मस अनुसार ही व्यय किया जाये।
2. उक्त आवंटित राशि से सामग्री का क्रय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जाये।
3. समस्त मरम्मत कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कराया जाये।
4. यदि आवंटित राशि का व्यय किया जाना संभव न हो तो तत्काल राशि समर्पित करें। ताकि जिन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवश्यकता है उन्हें समर्पित राशि आवंटित की जा सके।
5. वर्ष 2019-20 में निम्न प्रपत्र में रजिस्टर में व्यय संधारित किया जाये :-

प्रपत्र

क्रं.	भवन का नाम	व्यय राशि		कुल व्यय राशि
		सामग्री	मजदूरी	

6. मजदूरी मद से सामग्री क्रय न की जाये।
7. राशि जिस मद में आवंटित की गई। उसका व्यय उसी मद में किया जाये। वनमंडल स्तर पर पुनर्विनियोजन न करे।
8. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक/500/470/2019/चार/ब-1 दिनांक 30.07.2019 (वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।


(शुभरंजन सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट कक्ष/ 437  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4/2/2020

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त खंडवा मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)  
मध्यप्रदेश, भोपाल